

कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-9-2019

— कार्यालय ड्राप —

अधिसूचित संघीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सितंबर मास 2019-20 हेतु विद्यमान राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद संघीय लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद अखिल लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु संघीय नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विचार, प्राथमिक प्रवेश करना सुवि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में 10-12 में निर्धारित इन फार्मों को पत्राचार संघीयतः करने वाली नई संस्था का प्रकरण लगे गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पठन विभाग-विभाग का सम्बद्धता निर्णय लिया गया।

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मों की संख्याएँ जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसूच्य सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संख्य में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

आ. विभागाध्यक्ष संबंधित संस्था को परिषद की निर्देशन समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद को 70 अनुमोदन द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निर्धारित सत्र के अधिसूचित एवं उसमें उचित प्रवेश संस्था हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाये।

क्र. सं.	संस्था का नाम	पत्राचार का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	2019	संस्थाओं की संख्याएँ अभिज्ञ शिक्षा संघ विभागीय-पत्राचार सत्र-2019 संस्थाओं-2019	विभाग 12 संस्थाओं 10	10

**सम्बद्धता हेतु सूची**

- ✓ संख्या ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी सूची का पूर्णतः पालन करने।
- ✓ संख्या अखिल प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद संघीय लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागाध्यक्ष 1992 तथा अखिल निर्देशन विभाग एवं अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद संघीय लखनऊ द्वारा निर्धारित सूची की पूर्णतः पालन करने।

संशोधन हेतु रु० २२,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक सहायता/प्राप्त से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की प्रतिरक्षा प्राप्त/सावधानी से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सावधान द्वारा निर्दिष्ट किया जाने वाले सावधानी प्रणाली लीने और उपयुक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीठ निर्देशन समिति द्वारा यदि सन २०१९-२० हेतु पीठ का पुनर्विचार किया जाना है तो पीठ की नीतिगत को लागू होगी।


- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्रतिवर्षिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों संस्थाओं का सम्बन्ध किया जाना) विनियमवली-२००९ की धारा १० अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश को ही प्रवेश दिया जाएगा। पीठों के शिक्षण को करने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा समान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट सावधानी के अनुसार विद्यार्थी एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एकादशवीं/द्वितीय से आठवीं तक हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था अपने परीक्षा सावधान द्वारा बनाए गए शिक्षा नियमों, अधिनियमों, सावधानियों, निर्देशों एवं निर्देशक प्रतिवर्षिक शिक्षा सावधान संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा तथा प्रतिवर्षिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए शिक्षा अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में जिम्मेदार होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन मामलों पर उपरोक्त की सावधानी यदि पीठों/आई. आई. सी. से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन मामलों में संस्था को उपरोक्तित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी संस्थाओं के प्रति संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिवर्षिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिवर्षिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रतिवर्षिक शिक्षा नियमों द्वारा प्रवेश समान की कोई एक प्राप्त किया जाता है तथा प्रवेश परीक्षा के साथ ही ही सावधानी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी प्रवेश निर्दिष्ट किया जाता है तो संस्था को प्रतिक्रिया संबंधित संस्था का उत्तरनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन मामलों पर उपरोक्त संस्थाओं करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश आवश्यक द्वारा प्रवेश परीक्षा को ही आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्रदान होने के पूर्व विनियमवली में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही से उपरोक्त प्रवेश प्राप्त करना सभी प्रवेश को (सावधानियों से सम्बन्धित से सम्बन्धित संस्था पर ही पीठों प्रवेश) अनुमोदी नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ प्रवेश परीक्षा सावधान द्वारा प्रवेश हेतु शिक्षा नीतिगत आवश्यकताओं को अनुपालन करनी आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने विद्यार्थी पर संस्था की संस्था सुव्यवस्था जैसे संस्था की संस्थागत प्रतिक्रिया, भाषा, साहित्य-सावधानी, उपकरण, प्रवेश किया जाने वाली शुल्क, सावधानी शुल्क प्राप्त कर विद्यार्थी सावधानी प्रदान होगी।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपरोक्त सावधानी प्रदान करने के साथ ही प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में संस्था को उपरोक्त सावधानी प्रतिक्रिया करनी होगी।
- ✓ संस्था को उपरोक्तित्व को प्रतिक्रिया प्रदान करने के साथ ही प्रवेश परीक्षा पर उपरोक्त प्रवेश परीक्षा निर्देशक द्वारा प्रवेश परीक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रवेश परीक्षा को प्रवेश परीक्षा प्रदान करनी है कि संस्था को शिक्षण को प्रदान किया जाने के लिए कर रही है तो संस्था को प्रवेश परीक्षा को सम्बन्धित सावधानी किया जाने की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित धारा १० अनुपालन में शिक्षा करने प्रवेश धारा १० अनुपालन किया जाना की स्थिति में विद्यार्थी/उपरोक्त अनुमोदन-सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी।

  
 (सतीश कुमार सिंह)  
 सचिव

ब- प्राथम/परीषद सम्बन्धित/२०१९/११३३-२२३३

तद दिनांक १५-४-२०१९

स्थिति- प्रशासनिक/निदेशक, सावधानी हेतु कार्यवाही कोलेज, निदेशक एच पी-सहंगा, बहाक-छाती,  
 -सावधान, रायबरेली-२२१३०७

  
 (सतीश कुमार सिंह)  
 सचिव

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

**-कार्यालय ड्राफ-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी विद्यालय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 0000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 0000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मनों पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 0000 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीबोर्ड द्वारा उन्हें पेशावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीबोर्ड द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीबोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 00 00 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीबोर्ड द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरीबोर्ड / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2095	राज काली देवी फार्मसी कॉलेज, विलेज एन्ड फेड-रहवा, ब्राह्म-जगोद, 0000-बाराबंकी जिला।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एज्युकेशनल बोर्ड/पीठरीबोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 सेक्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निवारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्टीर पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साक्षात् द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्षात्देश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

*(Handwritten Signature)*

संस्था आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिती द्वारा बंदि सत्र 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीचे की नवीनतम करें लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितीयों तथा उच्च समितीयों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनिर्दिष्ट-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन-प्रदेश के अनुसार परिष्कार एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना करना होगा।
- ✓ संस्था को एउआई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/शासन-वर्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन फर्मेटी माध्यमों की सम्बन्ध बंदि पी0सी0आई0 गेट दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में उत्सुक रहनी है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था साथ उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बंधन किया जाता है तथा कारण बंध के संस्था में न। माध्यम द्वारा किसी प्रकार की उत्तिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त उत्तिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन फर्मेटी माध्यमों से संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित करने होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (आवेदनितिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आचार्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएँ, स्टाफ, समय-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित आचार्य सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त माता-पिता उपलब्ध कराने के साथ तैयार करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित माध्यमों को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिती के संस्था उपलब्ध कराने पर अनिश्चित, मुनि-गण, फर्मेटर, उपकरण इत्यादि का बंदि संस्था द्वारा किसी अन्य माध्यमों के सहायन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता संस्था विद्यार्थी के अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(का आचार्य सिंह)  
सचिव

पुनर्- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

एड् दिनांक 15-09-2020

प्राविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, राज काली देवी फर्मेटी कॉलेज, विलेज एण्ड पी0-जहा, ब्लाक-फार्मेट, राह0-साहीब रायबरेली।

(का आचार्य सिंह)  
सचिव